



कुलाधिपति
Chancellor

वर्धमान महावीर...खुला.....विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.25(2)आरबी / 2022 / ५९०१
दिनांक : ०५ सितम्बर, 2025

आदेश

मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 8(3) व 8(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. बी.एल. वर्मा, डीन एवं संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता०

(हरिभाऊ बागडे)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. बी.एल. वर्मा, डीन एवं संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. प्रो. (डॉ) भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान